न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम योगेन्द्र
वाद सं0–876/2009
मु0अ0सं0–232,233/2009
धारा–4/25 आयुध अधि0
व 60 आबकारी अधि0
थाना–भोजपुर

11.12.2018

अभियुक्त योगेन्द्र की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र वाद सं0–876/2009 मु0. अ0सं0– 232,233/2009 अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधि0 व 60 आबकारी अधि0 थाना भोजपुर में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त वाद उपरोक्त में पूर्व से जमानत पर था अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सके तथा न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर दिये गये। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण पूर्व में जमानत पर थे तथा नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध वारंट जारी कर दिये गये थे। अभियुक्त दिनाक 08.12. 2018 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12. 2009 को स्वीकृत हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त योगेन्द्र द्वारा बीस–बीस हजार रू0 के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा